न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 26/2022

अनवान : –

1. पालोदेवी उर्फ बसकरी पत्नी लूणाराम जाति बिश्नोई निवासी चक चिडियानामीम(छानी) बीड त0 भादरा।

– प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–श्री किशनलाल यादव **प्रार्थी**
राजपैरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांक: 10/10/22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही 1 डीपीएन के खाता सं0 51/59 के मु0 न0 5 की कुल 1.518है0 कृषि भूमि जिसमें प्रार्थीया का 373/759 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि विरासतन सम्पति है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में प्रार्थीया के पति लूणाराम के नाम दर्ज थी जो लूणाराम के फौत होने के बाद प्रार्थीया के नाम जरिये नामान्तरण दर्ज हुई जिसमें प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में पालोदेवी पत्नी लूणाराम दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही नाम पालोदेवी उर्फ बसकरी पत्नी लूणाराम है। पालोदेवी पत्नी लूणाराम संवहन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया, प्रार्थीया के सभी दस्तावेजों में सही नाम बसकरी दर्ज है व प्रार्थीया को घर, रिश्तेदारी व गांव में बसकरी व पालोदेवी दोनों के नाम से ही जाना जाता है। इस प्रकार प्रार्थीया का नाम पालोदेवी पत्नी लूणाराम दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण प्रार्थीया अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। तथा प्रार्थीया अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का काननी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य प्रार्थीया में पालोदेवी उर्फ बसकरी पत्नी लूणाराम द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड चित्रप्रति, वोटर पहचान पत्र, राशन कार्ड, प्रर्दशित करवायें।

बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया का सही नाम पालोदेवी उर्फ बसकरी पत्नी लूणाराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में पालोदेवी पत्नी लूणाराम दर्ज हो गया जिससे प्रार्थीया को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का

सामना करना पड़ता है अतः मुताबिक प्रार्थीया के दस्तावेजों व रिपॉर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थीया का सही नाम पालोदेवी उर्फ बसकरी पत्नी लूणाराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया ने रोही 1 डीपीएन के खाता सं0 51/59 के मु0 न0 5 की कुल 1.518है0 कृषि भूमि जिसमें प्रार्थीया का 373/759 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीया का नाम पालोदेवी पत्नी लूणाराम दर्ज है, पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों व रिपोर्ट तहसीलदार भादरा में प्रार्थीया का सही नाम पालोदेवी उर्फ बसकरी पत्नी लूणाराम दर्ज किया जाना उचित है इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीया ने रोही 1 डीपीएन के खाता सं0 51/59 के मु0 न0 5 की कुल 1.518है0 कृषि भूमि जिसमें प्रार्थी का 373/759 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीया का नाम पालोदेवी पत्नी लूणाराम दर्ज है में पालोदेवी पत्नी लूणाराम की जगह प्रार्थीया का सही नाम पालोदेवी उर्फ बसकरी पत्नी लूणाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि पालोदेवी पत्नी लूणाराम के नाम से हो तो उसके लिए प्रार्थीया का पालोदेवी पत्नी लूणाराम ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक ....10/10/20.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़